उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 03.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 03.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी ।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 03.09.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फरियादियों को आश्वस्त करते हुए सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 03.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया, जिससे फरियादियों के चेहरे में सम्बन्धित शिकायत के जल्द निस्तारण होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। सभी फरियादियों ने आश्वस्त होकर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है।

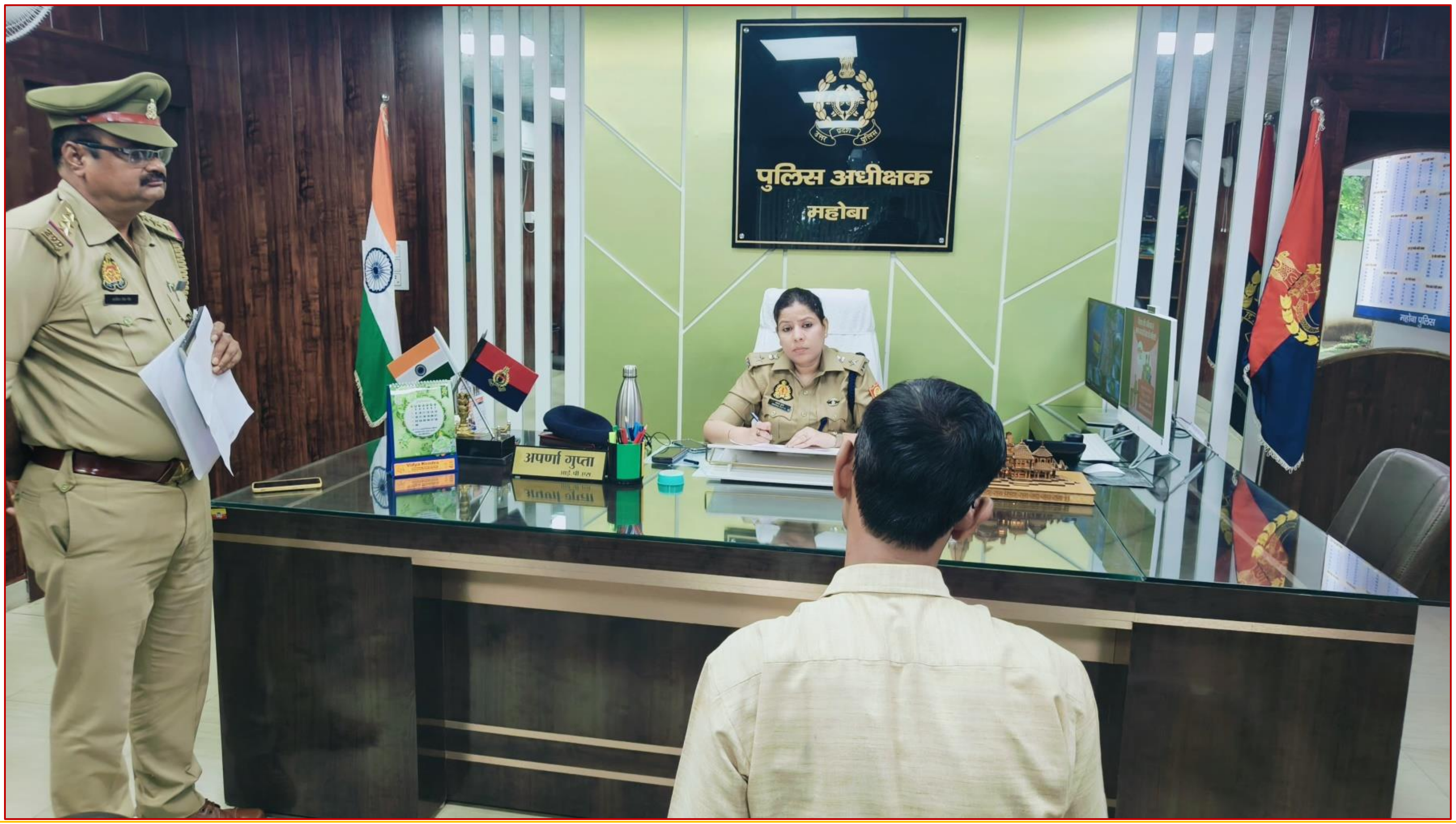

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में पुलिस थानों में गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपाय के संबंध में जागरूक किया गया।

उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज -4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 03.09.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो /शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में शुरुआत की गई है । अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना/ पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु **“शक्ति दीदी”** नियमित रुप से ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया व कराया जा रहा है।

जनचौपाल में उपस्थित महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज़-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया । साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं मे उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना,फ्री सिलाई मशीन योजना,सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई । साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 02.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.गोविन्ददास कुशवाहा पुत्र स्व0 चरनदास कुशवाहा उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा 2.बालमुकुन्द पुत्र स्व0 चरनदास कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिनके कब्जे से 02 अदद प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी में अलग अलग क्रमशः 22 क्वार्टर व 20 क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम तेईया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 167/2024 व मु0अ0सं0-168/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. गोविन्ददास कुशवाहा पुत्र स्व0 चरनदास कुशवाहा उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. बालमुकुन्द पुत्र स्व0 चरनदास कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेश कुमार
2. प्र0उ0नि0 अंकित कुमार यादव
3. कां0 कुवंरपाल
4. कां0 अजय कोरी

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 03.09.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपदीय पुलिस लाइन एवं थानों में निर्माणाधीन भवनों की प्रगति तथा उनके हस्तांतरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया, दिए गए आवश्यक निर्देश..

आज दिनांक 03.09.2024 को श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में पुलिस लाइन महोबा सहित जनपद के विभिन्न थानों में चल रहे वृहद एवं लघु निर्माण कार्यो के प्रगति से सम्बन्ध में समीक्षा की गयी, इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परिसर तथा थानों में नवनिर्मित भवनों के निर्माण कार्य को कराने वाली लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था के पदाधिकारियों से वार्ता कर निर्माणाधीन भवनों की प्रगति तथा उनके हस्तांतरण के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यदायी संस्था के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श गोष्ठी में भवन निर्माण कार्य को मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग करते हुए निर्माण कार्य को शीघ्र सम्पन्न कर पुलिस विभाग को यथाशीघ्र हस्तांतरित किये जाने निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम, प्रधान लिपिक श्रीमती शशि तोमर, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग, ए.ई. लोक निर्माण विभाग, ए.ई. पुलिस आवास निगम निर्माण सहित विभिन्न कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित पदाधिकारीगण मौजूद रहे।

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने आत्महत्या के लिये उकसाने वाले 04 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई वरि0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह भदौरिया मय म0उ0नि0 प्रशि0 एकता भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/24 धारा 108/351(3) बीएनएस से संबंधित 04 नफर वाँछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.मान सिंह यादव पुत्र स्व0 चिरंजी लाल यादव उम्र-60 वर्ष 2.राजेश यादव पुत्र मान सिंह यादव उम्र-32 वर्ष 3. संजय यादव पुत्र मान सिंह यादव उम्र-26 वर्ष निवासीगण ग्राम टिकरिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा 4. श्रीमती अंजू पुत्री मानसिंह यादव पत्नी रोहित यादव उम्र-24 वर्ष निवासी ग्राम नरवारा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को ग्राम टिकरिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मान सिंह यादव पुत्र स्व0 चिरंजी लाल यादव उम्र-60 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. राजेश यादव पुत्र मान सिंह यादव उम्र-32 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. संजय यादव पुत्र मान सिंह यादव उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना महोबकंठ जनपद महोबा
4. श्रीमती अंजू पुत्री मानसिंह यादव पत्नी रोहित यादव उम्र-24 वर्ष निवासी ग्राम नरवारा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. वरि0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह भदौरिया
2. म0उ0नि0प्रशि0 एकता भदौरिया
3. का0 कुंवर पाल
4. का0 तेज सिंह

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने
आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर वांछित अभियुक्त को अवैध गांजा के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 गौरव चौबे, चौकी प्रभारी बजरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध मादर पदार्थों की तस्करी रोकथाम के तहत अवैध गांजा के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर वांछित अभियुक्त विकास राजपूत पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष, सम्बन्धित मु0अ0सं0- 438/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/288 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के वांछित अभियुक्त को करिया पठवा से पीछे कब्रिस्तान/बजरिया की ओर जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद किया गया है, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0- 443/24 धारा 8/20 **NDPS** एक्ट पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण एवं अपराधिक इतिहास-

विकास राजपूत पुत्र बालेन्द्र राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम कुनाटा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

1. मु0अ0सं0 144/22 धारा 147/148/149/307/323/325/34/452/504/506 भा.द.वि. थाना महोबकण्ठ
2. मु0अ0सं0188/22 धारा 326 भा.द.वि. थाना महोबकण्ठ
3. मु0अ0सं0 146/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकण्ठ
4. मु0अ0सं0 134/2024 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भा.द.वि. थाना पनवाड़ी
5. मु0अ0सं0 438/24 धारा 115(2)/352/351(2)/288 बीएनएस थाना कोतवाली नगर

बरामदगी- 01 किलो 150 ग्राम सूखा गांजा नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 गौरव चौबे चौकी प्रभारी बजरिया, थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर महोबा
3. कां0 आमिर खान थाना कोतवाली नगर महोबा
4. कां0 संग्राम सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 12 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 60 हजार 400 रु. बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध रुप से संचालित जुंआ/सट्टा की प्रभावी रोकथाम एवंगिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.09.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई।

निरीक्षक अपराध श्री बलवान सिंह के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम ने राजकमल पैलेस के पास सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्तों से हारजीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे थाना कोतवाली नगर क्षेत्रअन्तर्गत निवासीगण 06 नफऱ अभियुक्तगण क्रमशः 1.अतुल दीक्षित पुत्र स्व0 मुन्ना दीक्षित उम्र करीब 44 वर्ष 2.नितिन श्रीवास पुत्र सुनील कुमार उम्र करीब 21 वर्ष 3.नरेन्द्र प्रजापति पुत्र नाथूराम उम्र करीब 26 वर्ष 4.कृष्ण कुमार मिश्रा पुत्र सुखदेव प्रसाद उम्र करीब 26 वर्ष 5. शीलू प्रजापति पुत्र मुन्नालाल उम्र करीब 21वर्ष 6.दिलीप कुमार पुत्र गनेश उम्र करीब 20 वर्ष समस्त निवासीगण को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मालफड 23000/-रू. व जामातलाशी 7400 /-रू. व **52** अदद ताश पत्ता बरामद होने पर अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 441/24 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 बुद्धि सागर, चौकी प्रभारी मनियादेव के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने रामकुण्ड मन्दिर के पीछे गौशाला के पास सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 06 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.चन्द्रशेखर प्रजापति पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 32 वर्ष 2. चंद्रप्रकाश गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता उम्र करीब 22 वर्ष 3. नरेन्द्र गुप्ता पुत्र छोटेलाल गुप्ता उम्र करीब 35 वर्ष निवासी भरूवा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर 4. अंशु कुमार पुत्र रामकरन चौरसिया उम्र करीब 25 वर्ष 5.रामगनेश साहू पुत्र भगवानदीन उम्र करीब 29 वर्ष निवासी भरूवा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, 6. राजूपाल पुत्र मूलचंद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी थाना कोतवाली क्षेत्र के कब्जे से मालफड 24000/-रु. व जामातलाशी 6000 /-रू. व **52** अदद ताश पत्ता बरामद होने पर अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 442/24 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रथम-

1.निरीक्षक अपराध बलवान सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा 2.उ0नि0यूटी संदीप विमल 3.का0 प्रवीण यादव 4.कां0 मुकेश सिंह

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम द्वितीय-

1.उ0नि0 बुद्धिसागर चौकी इन्चार्ज मनियादेव 2.उ0नि0यूटी अभिनव सिंह 3.का0 अवनेश 4. कां0 शिवबाबू